5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(23)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

PBR/निगरानी/देवास/भू.रा/2018/0024

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

भारतसिंह पिता श्री मोड़सिंहजी, जाति राजपूत
आयु 58 वर्ष, धंधा कृषि
निवासी– ग्राम जवासिया तहसील व जिला देवास
-----निगरानीकर्ता/आवेदक

पी. जे. शर्मा
दिनांक 05-12-2017
5.12.17

विरूद्ध

1– नाथूसिंह पिता चन्द्रसिंह, जाति राजपूत
आयु 75 वर्ष, धंधा कृषि
निवासी– ग्राम जवासिया तहसील व जिला देवास

2– मध्य–प्रदेश शासन
व्दारा कलेक्टर महोदय, देवास
---रेस्पान्डेन्ट्स/अनावेदकण

कैम्प उज्जैन पर प्राप्त
20/12/17

22-12-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व सहिता 1959 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला देवास व्दारा सीमांकन प्रकरण क्र0 24/ए–12/15–16 मे बनाया स्थल पंचनामा दिनांक 02–06–2016 व पारित आदेश दिनांक 19–09–2016 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर निगरानी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर / देवास / निगरानी / भूरा / 2018 / 0024

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील व जिला देवास के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–9–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग एक साल विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण दायर करने में हुये विलम्ब का बताया कारण सद्भाविक नहीं है तथा विलम्ब क्षमा हेतु धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	